

संख्या-8/971/तीस-4-2015-8(19)/09टीसी

प्रेषक,

मुहम्मद अख्तराक खॉ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
3040 लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-4

लखनऊ : दिनांक: 31 जुलाई, 2015

विषय: वित्तीय आवश्यकता के दृष्टिगत परिवहन यानों में एक मुश्त कर अदायगी के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-402/सा0प्र0/2015-140टीआर/09-15, दिनांक 10.06.2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-2004/तीस-4-09-8(19)/09, दिनांक 28.10.2009 में उल्लिखित वाहनों की कर अदायगी के विकल्प वार्षिक अथवा एकमुश्त व्यवस्था के स्थान पर मात्र एकमुश्त कर अदायगी की व्यवस्था किये जाने का प्रस्ताव किया गया है। अधिसूचना दिनांक 28.10.2009 में निम्नवत् व्यवस्था दी गयी है:-

क्र०सं०	यान का विवरण	वार्षिक कर की दर (रुपये में)	एक बार देय कर की दर (रुपये में)
1	2	3	4
1.	झड़पर को छोड़कर 06 व्यक्तियों से अनधिक व्यक्तियों के बैठने वाले लिफ्टिया मोटर कैब के प्रत्येक सीट के लिये	600	5400
2.	मान यान जिला सकलयान भार 3000 किलोग्राम से अनधिक हो, पर सकलयान भार के प्रत्येक मीट्रिक टन या उसके भाग के लिये	850	7600

2- उक्त प्रकरण में परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि अधिसूचना दिनांक 28.10.2009 में वार्षिक कर के भुगतान की व्यवस्था से वाहन स्वामियों को कर अदायगी के लिये परिवहन विभाग के कार्यालयों में बार-बार चक्कर लगाना होता है तथा इस व्यवस्था से उन्हें कोई आर्थिक लाभ भी नहीं है। इसके अतिरिक्त वाहन स्वामियों द्वारा नियमित वार्षिक कर अदायगी न कर पाने से राज्य को राजस्व क्षति होती है तथा वाहन स्वामी को भी असुविधा का सामना करना पड़ता है।

3- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनसामान्य की सुविधा के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त उक्त अधिसूचना में उल्लिखित वाहनों की कर अदायगी को केवल एकमुश्त भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस व्यवस्था से जहाँ वाहन स्वामियों को कार्यालय के बार-बार चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी वहीं इस व्यवस्था से उन पर कोई अतिरिक्त वित्तीय व्यय भार भी नहीं पड़ेगा तथा एकमुश्त कर अदायगी से राज्य सरकार को एकमुश्त राजस्व की प्राप्ति भी हो सकेगी। कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मुहम्मद अख्तराक खॉ)
विशेष सचिव।

राज्य के
न के अनुसार

जहाँ
46
7-8-15

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।